UPBJ010008382026

न्यायालय अपर जिला जज, कोर्ट नंबर–03, बिजनौर।

दीवानी निष्पादन वाद संख्याः– 03/2026

अनुपम विजय गुप्ता बनाम सरदार नरेन्द्र सिहँ

<u>06–04–2026</u>

पत्रावली प्रस्तुत हुई।

डिक्रीदार एवं निर्णीत ऋणी मय विद्वान अधिवक्ता उपस्थित है।

डिक्रीदार की ओर से प्रार्थना पत्र इस आशय के साथ प्रस्तुत किया गया कि किरायेदारी वाली दुकान का दखल दिनॉक 04.04.2026 को प्राप्त हो गया है। माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेशानुसार डिक्रीदार/वादी जमा शुदा हर्जा इस्तेमाल न्यायालय द्वारा वापिस ले लेगा। डिक्रीदार को इजराय आगे नहीं चलानी है। इन तथ्यो के आधार पर इजराय वाद को निस्तारित किए जाने की याचना की गयी है।

निर्णीत ऋणी द्वारा भी प्रार्थनापत्र इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि तखल तलब दुकान खाली कर दिनॉक 04.04.2026 को वास्तविक कब्जे व दखल डिक्रीदार में दी है। कोई विवाद पक्षकारों के मध्य शेष नहीं रहा है। ऐसी स्थिति में इजराय वाद पूर्ण संतुष्टि के आधार पर निर्णीत कर दिया जाए।

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

चूँकि डिक्रीदार को प्रश्नगत दुकान का दखल माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनॉक 05–02–2026 के अनुपालन में प्राप्त हो चुका है और पक्षकार निष्पादन वाद को पूर्ण संतुष्टि के आधार पर निरस्त कराना चाहते है तथा न्यायालय में जमा शुद्वा हर्जा इस्तेमाल डिक्रीदार उठाने का अधिकारी होगा। अतः इजराय वाद में अब कोई कार्यवाही किया जाना शेष नहीं रहा है। ऐसी स्थिति में इजराय वाद पूर्ण संतुष्टि के आधार पर निरस्त की जाती है। पत्रावली दाखिल दफतर हो।

(प्रशांत मित्तल)
अपर जिला जज, कोर्ट सं0–03,
बिजनौर।
J.O. Code. U.P.-06174

Digitally signed by PRASHANT MITTAL
Date: 2026.04.06 16:59:37 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court